(५४)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल संभाग ग्वालियर

प्रकरण कमाक : /2017 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4828

सुखलाल पुत्र श्री तुलई हरिजन जाति हरिजन आयु 56 साल, व्यवसाय खेती निवासी ग्राम विस्कावली, तहसील बासौदा जिला विदिशा ... निगरानीकर्ता

बनाम

विशाल सिकरवार पुत्र श्री हरीसिंह सिकरवार, आयु 35 साल, निवासी – वार्ड नंबर 5 गंज बासौदा, जिला विदिशा म0प्र0 .... रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र भू राजस्व सहिता आदेश पारित व्दारा न्यौयालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बासोदा जिला विदिशा म.प्र. के प्रकरण कमांक 111/अपील/2016–17 व उनवान विशाल सिकरवार बनाम सुखलाल, आदेश पारित दिनाक 29.11. 2017, से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नपकार प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यह कि निगरानीकर्ता व्दारा कृषि भूमि स्थित ग्राम विस्कावली आराजी नबर 66 रकवा 0.188 हेक्टेयर एवं आराजी नंबर 67 रकवा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4828 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.बी. शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अनुविभगीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत अनावेदक द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अपील को गुण–दोषों पर सुनवाई हेतु मान्य किया है एवं प्रकरण अंतिम तर्क हेतु मान्य किया है। उनके द्वारा पारित आदेश में कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और उसमें तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कोई गंभीर वैधानिक त्रुटि हो। जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	